दिनांक 24.08.2013 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में डॉ.आर.बी.एस. रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गई उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की दसवीं बैठक का कार्यवृत्त तथा उपस्थिति का विवरणः—

उपस्थिति का विवरणः—

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष—कार्यकारी समिति के प्रतिनिधि श्री एस.सी. पंत, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य—कार्यकारी समिति के प्रतिनिधि श्री धनन्जय मोहन, मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखण्ड।
3. श्रीमती वीना सेखरी, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य—कार्यकारी समिति।
4. श्री राजेन्द्र कुमार, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी एवं सदस्य—कार्यकारी समिति।
5. श्री एस.टी.एस. लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य—कार्यकारी समिति।
6. श्री मोनिष मलिक, मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं आई.टी. – विशेष आमंत्री।
7. श्री एस.एस. रसाइली, वन संरक्षक, मुख्यालय, देहरादून – आमंत्री।
8. श्री एम.एस. बिष्ट, वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य—कार्यकारी समिति।
9. सुश्री ज्योत्सना सितलिंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

बैठक का शुभारम्भ करते हुये उत्तराखण्ड कैम्पा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये कार्यकारी समिति (Executive Committee) की दसवीं बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 10.1: दिनांक 06.02.2013 को सम्पन्न हुई नवम कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवृत्तः—

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के समक्ष दिनांक 06.02.2013 को सम्पन्न हुई नवम कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा नवम कार्यकारी समिति की बैठक के कार्यवृत्त में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि जोन/वृत्त स्तर से अनुपालन आख्या कैम्पा कार्यालय में अप्राप्त होने के फलस्वरूप अनुपालन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। बैठक में प्रमुख वन संरक्षक, वन

पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि कार्यकारी समिति के निर्णयों/निर्देशों को पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय की भांति कार्यवृत्त को जोन में प्राप्ति के साथ जोन/वृत्त स्तर से अग्रेत्तर निर्देश अधीनस्थ को जारी किए जाएं तथा अनुपालन की स्थिति को सम्बन्धित वृत्त एवं जोन स्तर से कैम्पा कार्यालय को प्रेषित किया जाए, जिससे निर्देशों का पूरे जोन स्तर पर हुए अनुपालन की स्थिति से समिति अवगत हो सके एवं नीतिगत निर्णय लिए जा सकें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ एवं समस्त वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 10.2: कैम्पा निधि के अन्तर्गत APO 2013–14 के क्रियान्वयन/प्रगति की अद्यावधिक स्थितिः–

समिति को अवगत कराया गया कि स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2013–14 के सापेक्ष क्रियान्वयन/प्रगति की उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS से दिनांक 22.08.2013 को सृजित Hard Copy के अनुसार समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों को Carry Forward सहित वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि रू० 2807.46 लाख के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धि रू० 1039.29 लाख है। उक्त अवमुक्त धनराशि में प्रभाग स्तर पर स्वीकृत APO के सापेक्ष कैट प्लान के अतिरिक्त शेष समस्त घटकों हेतु लगभग 50% से अधिक की धनराशि अवमुक्त की गई है।

समिति के संज्ञान में लाया गया कि प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं के निर्देशों के क्रम में CAT Plans के Micro Plans एवं DPR बनाये जाने के उपरान्त सम्बन्धित वन प्रभागों को धनराशि अवमुक्त की जानी है। प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं के पत्रांक– 58/3–19 दिनांक 22.07.2013 के अनुपालन में प्रभाग स्तर पर 2012–13 के कैट प्लान के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि में से, वर्ष 2013–14 की वार्षिक कार्ययोजना में, कैट प्लान हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 5% की धनराशि Entry Point Activity के क्रियान्वयन हेतु व्यय करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

इस क्रम में समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि समस्त सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों के नियंत्रक अधिकारी (जोनल चीफ एवं वन संरक्षक) कैम्पा निधि के उपयोग एवं स्थल विशिष्ट के कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने हेतु प्रभावी व्यवस्था करते हुए प्रत्येक घटक के कार्यों हेतु Perspective Plan **बनाने में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को सहयोग करें।**

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ एवं समस्त वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 10.3: गतवर्षों की अवशेष धनराशि के कार्यों की प्रगति को APO 2013-14 के सापेक्ष समायोजन कर कैम्पा के MIS में प्रविष्टि का अनुमोदन :–

समिति को अवगत कराया गया कि अधिकांश वन प्रभागों में कैम्पा निधि के अंतर्गत गतवर्षों में कतिपय कार्य किए गये, जो कि विधिवत लेखाबद्ध हुए व इन कार्यों के लेखा का लेखा परीक्षण भी किया गया, किन्तु सम्बन्धित प्रभाग द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS में इन कार्यों की प्रगति की प्रविष्टि न किए जाने के कारण, व्यय की जा चुकी उक्त धनराशि सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण के स्तर पर गतवर्षों से अवशेष चल रही थी, जिस कारण वास्तविक लेखा तथा MIS में कार्यों की प्रविष्टि में भिन्नता है।

समिति के संज्ञान में लाया गया कि गतवर्षों में उपरोक्तानुसार सम्पादित किए जा चुके कार्यों को स्वीकृत APO 2013–14 की घटकवार सीमा के अंतर्गत समायोजित एवं MIS में प्रविष्टि करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा का पत्रावली में अनुमोदन प्राप्त कर उक्त गतवर्षों के APOs के सापेक्ष किए गये कुल रु॰ 450.72 लाख की धनराशि के कार्यों का समायोजन/MIS में प्रविष्टि प्रभाग स्तरों से की जा चुकी है। उक्त समायोजन से स्वीकृत APO 2013-14 की कार्यमदों में हुए आंशिक परिवर्तन को संशोधित APO 2013-14 में शामिल कर संचालन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति के संज्ञान में यह भी लाया गया कि उपरोक्त समायोजन/MIS में छूटी प्रविष्टियों को पूर्ण कराने के फलस्वरूप समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभागों के स्तर पर कैम्पा निधि से कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु व्यवहारिक, समयबद्ध एवं गुणवत्तायुक्त व्यवस्था बिठाने हेतु पहल की गई। इससे यह अपेक्षा की जाती है कि माह जुलाई, 2013 के बाद कैम्पा के कार्यों में उत्तरोत्तर प्रगति आएगी, जिसकी समीक्षा कैम्पा कार्यालय से मासिक रूप से की जा सकेगी।

समिति द्वारा उपरोक्त पर चर्चा की गई तथा उपरोक्तानुसार समायोजन/MIS में छूटी प्रविष्टियों को पूर्ण कराने हेतु की गई कार्यवाही को समिति द्वारा तद्नुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 10.4: APO 2013–14 के संशोधन का अनुमोदनः–

समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 13.03.2013 को संचालन समिति द्वारा वर्ष 2013–14 हेतु रु॰ 8940.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदित है। उक्त वार्षिक कार्ययोजना में गत 3 वर्षों के APOs के सापेक्ष किये कार्यों में कतिपय कार्यों की छूटी MIS प्रविष्टियों का समायोजन कराया जा चुका है। इस क्रम में NPV, PA, CAT Plan के घटकों के

लिए वर्ष 2013–14 के स्वीकृत APO में गतवर्षों की अवशेष धनराशि को जोड़कर संशोधित APO 2013–14 का साइज निर्धारित किया गया तथा स्थल विशिष्ट के कार्यों यथा घटक संख्या–2 क्षतिपूरक वनीकरण व घटक संख्या–4 Others में वर्ष 2009 तक के लम्बित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने हेतु प्रभाग की आवश्यकता के अनुरूप पूर्णतया खुला रखा गया। इस क्रम में सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों से दिनांक 20.08.2013 तक घटकों के अंतर्गत कार्यमद (3rd level head) व उप कार्यमद (4th level head) तक का प्रभागवार break-up नियंत्रक अधिकारी (वन संरक्षक व जोनल चीफ) के अनुमोदन उपरान्त कैम्पा कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था।

उपरोक्त के क्रम में समिति के संज्ञान में लाया गया कि जोन स्तरों से संशोधित APO 2013–14 का प्रभागवार व घटक एवं कार्यमदवार break-up उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय में वर्तमान तक अप्राप्त है। अतः वांछित संशोधित APO कैम्पा कार्यालय में उपरोक्तानुसार प्राप्त होने पर कार्यकारी समिति की ओर से प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के अनुमोदन उपरान्त उक्त संशोधित APO को संचालन समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्यकारी समिति द्वारा संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वर्ष 2013–14 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना का कार्यकारी समिति की ओर से अनुमोदन करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ एवं समस्त वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क व समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 10.5: CUG Plan के अंतर्गत संचालन समिति द्वारा निर्धारित 3000 कनेक्शन से ऊपर के कनेक्शन के भुगतान हेतु अनुमोदन :–

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 04.10.2012 में संचालन समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि CUG प्लान के संयोजनों को 3000 की सीमा तक सीमित रखा जाये तथा जिन क्षेत्रों में BSNL की connectivity नहीं है, उनके संयोजन disconnect करा दिये जायें।

इसी क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा की दिनांक 13.03.2013 को सम्पन्न संचालन समिति की बैठक में समिति द्वारा CUG के संयोजनों को पूर्व निर्धारित 3000 संख्या की सीमा तक सीमित रखे जाने के निर्देश दिए गये।

उपरोक्त के क्रम में समिति के संज्ञान में लाया गया कि वन विभाग स्तर पर CUG संयोजनों की संख्या 3300 तक बढ़ जाने पर संचालन समिति के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय द्वारा 20 जनवरी, 2013 से 19 जून, 2013 तक 3000 संयोजनों का भुगतान BSNL को किया गया है जिस कारण 3000 से ऊपर के संयोजनों की उक्त अवधि की लगभग रु॰ 1.99 लाख की धनराशि का भुगतान BSNL को किया जाना शेष है। 20 जून, 2013 के पश्चात CUG संयोजनों की संख्या घटकर 2994 हो गई है।

समिति द्वारा उपरोक्त पर चर्चा उपरान्त BSNL के उपरोक्त रु॰ 1.99 लाख की लम्बित धनराशि का भुगतान किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

CUG संयोजनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति ज्ञात करने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा CUG Plan को क्रियान्वित कराने हेतु अधिकृत अधिकारी (मुख्य वन संरक्षक–प्रशासन एवं आई॰टी॰, उत्तराखण्ड) को बैठक में आमंत्रित किया गया। बैठक में मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं आई॰टी॰ द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग के अधिकांश कार्मिकों विशेषकर रेंज अधिकारियों के स्तर पर CUG के निर्धारित प्लान सीमा से अधिक उपयोग किए जाने के फलस्वरूप लगभग रु॰ 19.00 लाख की धनराशि का भुगतान विभाग के इन सम्बन्धित कार्मिकों के स्तर से BSNL को किया जाना लम्बित है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्मिकों के स्तर पर लम्बित उपरोक्त लगभग रु॰ 19.00 लाख की धनराशि को अविलम्ब BSNL को भुगतान कराने हेतु सम्बन्धित कार्मिक के नियंत्रक अधिकारी को अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये तथा मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं आई॰टी॰ को तद्नुसार सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र निर्गत करने के निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/सम्बन्धित कार्मिक के नियंत्रक अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं आई॰टी॰)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 10.6: Concurrent Monitoring & Evaluation की अद्यावधिक स्थितिः–

समिति को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा (bidding) उपरान्त सूचीबद्ध किए गए 3 संस्थाएं (institutional consultants) एवं 5 व्यक्तिगत सलाहकारों के माध्यम से वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के निष्पादित कार्यों में से representative sampling कर वर्षवार क्रमशः 37 व 30 वन प्रभागों/कार्यान्वयन अभिकरणों के कार्यों की third party concurrent monitoring & evaluation का कार्य कराया जा चुका है। अभी तक प्राप्त समस्त concurrent monitoring & evaluation रिपोर्ट को उत्तराखण्ड कैम्पा की website

(http://ukcampa.org) पर रखा गया है तथा सभी सम्बन्धित कार्यान्वयन इकाईयों एवं वन विभाग के उच्चाधिकारियों को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। अधिकांश कार्यान्वयन अभिकरणों के स्तर से अनुपालन आख्या उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय में प्राप्त हो गई है।

समिति के संज्ञान में लाया गया कि कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2012–13 के कार्यों के मूल्यांकन व अनुश्रवण हेतु उक्त सभी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत सलाहकारों से पुनः agreement मांगे जाने पर 1 संस्था के द्वारा एवं 4 व्यक्तिगत सलाहकारों के द्वारा पूर्व निविदा के नियम व शर्तों तथा दरों पर सहमति दिए जाने पर दिनांक 13.03.2013 की संचालन समिति की बैठक में उक्त सलाहकारों को वर्ष 2012–13 के कार्यों के मूल्यांकन व अनुश्रवण हेतु रखे जाने का अनुमोदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित सलाहकारों के साथ agreement निष्पादित किये गये हैं। इसी क्रम में उपरोक्त सलाहकारों को वर्ष 2012–13 के APO के कार्यों की concurrent अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य माह जून व जुलाई, 2013 में करने हेतु सौंपा जा चुका है। किन्तु उत्तराखण्ड में अतिवृष्टि/आपदा के मद्देनजर उक्त कार्य को सम्बन्धित प्रभाग की सुविधानुसार अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य माह सितम्बर से अक्टूबर, 2013 के मध्य पूर्ण कर रिपोर्ट उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु सलाहकारों को अवगत कराया जा चुका है।

समिति मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की उपरोक्त अद्यावधिक स्थिति से अवगत हुई तथा निर्देश दिए गए कि मूल्यांकन व अनुश्रवण रिपोर्ट के विश्लेषण से प्राप्त सुझावों को विभाग स्तर पर कैम्पा के कार्यों में सुधार लाने हेतु उपयोग में लाया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं मुख्य वन संरक्षक–अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं ऑडिट)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 10.7: उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के वर्ष 2012–13 के कार्यों की आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं वार्षिक लेखा परीक्षा की अद्यावधिक स्थितिः–

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में उत्तराखण्ड कैम्पा के सोसाइटी मोड की अवधि (दिनांक 01.04.2012 से 08.11.2012 तक) के कार्यों तथा उत्तराखण्ड कैम्पा के नोटिफिकेशन के पश्चात दिनांक 09.11.2012 से 31.03.2013 तक के कार्यों का पृथक–पृथक रूप में आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य CAG Empanelled CA Firms के माध्यम से सम्पन्न कराया जा चुका है। सोसाइटी मोड की अवधि की पृथक से बैलेन्स शीट सहित वर्ष 2012–13 की उत्तराखण्ड कैम्पा की बैलेन्स शीट को अन्तिम रूप देने हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के कार्यों की वार्षिक लेखा परीक्षा का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्त लेखा परीक्षा के Observations समिति के अवलोकनार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जायेंगे।

उपरोक्त पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

गतवर्षों 2010–11 व 2011–12 के कैम्पा निधि के कार्यों की CA फर्मों द्वारा की गई लेखा परीक्षा में उभरे बिन्दुओं के निस्तारण हेतु वित्त नियंत्रक, वन विभाग द्वारा अपने दिनांक 03.01.2013 की कार्यकारी समिति की बैठक में दिए गये सुझाव को पुनः दोहराया गया कि विभागीय लेखा उपसमिति के स्तर पर उक्त ऑडिट में उभरे बिन्दुओं का परीक्षण करने के उपरान्त निराकरण/सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए तथा ऑडिट सम्बन्धी कार्यवाहियों के त्वरित निस्तारण हेतु कैम्पा कार्यालय स्तर पर ऑडिट को–ऑर्डिनेशन ऑफीसर रखा जाना चाहिए।

उक्त पर समिति द्वारा विभागीय लेखा उपसमिति की बैठक करवाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए तथा कैम्पा कार्यालय स्तर पर ऑडिट को–ऑर्डिनेशन ऑफीसर रखने जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, वित्त नियंत्रक, वन विभाग तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 10.8: वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 का अनुमोदन:–

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की अधिसूचना के बिन्दु संख्या–8. (छ) के अनुसार जून के अंत तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी है। इस क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2012–13 की ड्राफ्ट वार्षिक रिपोर्ट समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

समिति द्वारा वर्ष 2012–13 की वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वर्ष 2011–12 की वार्षिक रिपोर्ट को अविलम्ब प्रकाशित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 10.9: क्षतिपूरक वनीकरण के ए॰पी॰ओ॰ में नियोजन हेतु वृत्तों की अनुसूचित दरों में से वृक्षारोपण की अधिकतम इकाई दरों को रखे जाने के सम्बन्ध में :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु APO के नियोजन व वृत्तों की अनुसूचित दरों की इकाई दरों में भिन्नता को प्रकाश में लाया गया तथा समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान में APO के नियोजन हेतु 2 वर्ष के अनुरक्षण कार्य

सहित कैम्पा के अंतर्गत इकाई दरें रु॰ 53,000 प्रति हैक्टेयर हैं, जबकि 3 वर्षों के अनुरक्षण कार्य सहित वृत्तों की अनुसूचित दरों में इकाई दरें रु॰ 59,000/– से रु॰ 82,000/– प्रति है0 के मध्य हैं। वृत्त की अनुसूचित दरों में इकाई दर कैम्पा के ए0पी0ओ0 में नियोजन के उद्देश्य से रखी गई इकाई दरों से अधिक होने के परिप्रेक्ष्य में प्रगति की एम0आई0एस0 में प्रविष्टि करने में प्रभाग स्तर पर कठिनाई हो रही है। इसी क्रम में समिति के संज्ञान में लाया गया कि फील्ड भ्रमण के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व से क्षेत्र में कुछ वृक्षों की उपलब्धता तथा क्षेत्र चट्टानी होने के क्रम में क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत 2000 पौध प्रति है0 रोपण में व्यवहारिक कठिनाईयां आ रही हैं।

उपरोक्त पर चर्चा उपरान्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा यह सुझाव दिया गया कि राज्य कैम्पा के 10 वर्षीय प्रोजेक्ट में प्राविधानित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लक्ष्य 9399 हैक्टेयर में प्रभागवार क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लक्ष्यों के आधार पर वर्तमान में सम्बन्धित प्रभाग के वृत्त की अनुसूचित दरों पर weighted average लेते हुए पौधों की संख्या को उसी अनुपात में 2000 पौध प्रति है0 से कम किया जाय।

समिति ने उपरोक्त पर चर्चा उपरान्त प्रभागों के 10 वर्षीय प्रोजेक्ट में प्राविधानित क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित प्रभाग के वृत्त की अनुसूचित दरों पर weighted average लेते हुए पौधों की संख्या को उसी अनुपात में 2000 पौध प्रति है0 से कम किये जाने के तथा वास्तविक कार्य वृत्त की अनुसूचित दरों पर ही सम्पादित किये जाने के निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण, समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 10.10: विभाग स्तर पर ई–ग्रीन वॉच की पायलेटिंग के सम्बन्ध में :

समिति के संज्ञान में लाया गया कि कैम्पा के कार्यों सहित वन विभाग के अंतर्गत किए जा रहे स्थल विशिष्ट के कार्यों को ई–ग्रीन वॉच मॉनीटरिंग सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन मॉनीटर करने हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं। ई–ग्रीन वॉच की 5 राज्यों यथा–आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम व त्रिपुरा में पाइलेटिंग का कार्य किया जा चुका है। उत्तराखण्ड राज्य में वित्तीय वर्ष 2013–14 में ई–ग्रीन वॉच को लागू किया जाना है। अक्टूबर, 2013 से वन विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत किए जा रहे स्थल विशिष्ट के कार्यों को आवश्यक रूप से ई–ग्रीन वॉच में अपलोड किया जाना है।

एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार से भविष्य में राज्य कैम्पा हेतु ई–ग्रीन वॉच की प्रगति के आधार पर कैम्पा निधि अवमुक्त किया जाना विचाराधीन है।

उपरोक्त पर समिति द्वारा चर्चा की गई, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सुझाव दिया गया कि ई–ग्रीन वॉच को लागू करने हेतु वन प्रभागों को Honey comb approach से अपनाये जाने तथा ई–ग्रीन वॉच सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के अनुरूप configuration वाले computer क्रय किए जाने का सुझाव दिया गया। मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं आई०टी० द्वारा ई–ग्रीन वॉच को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रभागीय वनाधिकारियों को यथेष्ट orientation तथा प्रत्येक वन प्रभाग के कम से कम दो सम्बन्धित कार्मिकों को लगभग एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिलाए जाने की आवश्यकता व्यक्त की गई।

समिति द्वारा ई–ग्रीन वॉच को विभाग स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू कराने हेतु उपरोक्त सुझावों के अनुरूप सम्बन्धित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं आई०टी० के स्तर से आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं आई०टी०)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 10.11: कैम्पा निधि से अर्जित ब्याज राशि से फील्ड वाहन क्रय के सम्बन्ध में :

समिति के संज्ञान में लाया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत फील्ड स्तर पर परिणामयुक्त मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के कार्य को गति प्रदान करने एवं प्रभावी बनाने हेतु मुख्य वन संरक्षक एवं विभागीय सचिव सहित उच्च स्तर के अधिकारियों को 25 फील्ड वाहन कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज राशि से (यथा–स्कॉर्पियो अथवा समतुल्य) उपलब्ध कराने हेतु रु० 200.00 लाख की धनराशि को स्वीकृत करते हुए दिनांक 13.03.2013 को संचालन समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। इसी क्रम में प्रथम चरण में 6 फील्ड वाहन DGS&D की प्रचलित दरों पर क्रय करने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सहित संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। शेष 19 वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है।

उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा कैम्पा निधि से अर्जित ब्याज राशि से शेष 19 वाहन क्रय हेतु रु० 162.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 10.12: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त बिन्दु –

10.12.1 वन पंचायतों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में :

समिति के अवगत कराया गया कि वानिकी अनुसन्धान सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20 अप्रैल, 2013 द्वारा वन पंचायतों सम्बन्धी कैम्पा के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं यथा – Capacity building of Van Panchayats for sustainable forest management तथा REDD Plus Pilot project in the Van Panchayats of Uttarakhand के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्रांक–ख–2619/18–5 दिनांक 10.06.2013 के माध्यम से अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनकी अध्यक्षता में तकनीकी समिति गठित की गई है। समिति के संज्ञान में लाया गया कि स्वीकृत परियोजना की प्रथम किश्त कैम्पा द्वारा सीधे सम्बन्धित संस्था को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं जबकि कैम्पा कार्यालय क्रियान्वयन अभिकरण नहीं है तथा परियोजनाएं वन विभाग के स्तर पर क्रियान्वित की जानी है, अतः सम्बन्धित विभागीय कार्यान्वयन अभिकरण को कैम्पा कार्यालय से धनराशि अवमुक्त की जानी नियमानुसार उचित रहेगी।

उपरोक्त पर समिति द्वारा चर्चा की गई तथा उपरोक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के कार्यालय स्तर पर करने एवं कैम्पा कार्यालय से प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत कार्यालय स्तर पर संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2013–14 में प्राविधान कर तदनुसार उनके कार्यालय को धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

10.12.2 APO 2013-14 में प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के स्तर हेतु स्वीकृत वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में :

अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि APO 2013-14 में प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के स्तर हेतु 2 फील्ड वाहन क्रय हेतु रू. 12.00 लाख का प्राविधान स्वीकृत है। इस क्रम में उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि कैम्पा निधि के अंतर्गत क्रय किए जा रहे फील्ड वाहनों के साथ उक्त 2 वाहन भी अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के स्तर से क्रय किया जाना उचित रहेगा।

उपरोक्त पर समिति द्वारा चर्चा उपरान्त कैम्पा निधि के अंतर्गत क्रय किए जा रहे 60 फील्ड वाहनों के साथ उपरोक्त 2 फील्ड वाहन (बोलेरो अथवा समकक्ष) क्रय किए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुये धन्यवाद सहित बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

1.9.2013.

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(डॉ॰ आर॰बी॰एस॰ रावत)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–
कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

5 मन्दिर मार्ग, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2761077 ई–मेल: **ceoukcampa@gmail.com**, **Website : www.ukcampa.org**

पत्रांक– 354 /13–3(10)/2013–14 दिनांक, देहरादून, 02 ~~अगस्त~~ सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

1.9.2013

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य–सचिव,उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 354 (1)/13–3(10)/2013–14 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.9.2013

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य–सचिव,उत्तराखण्ड कैम्पा।